संख्या:63/2020/2113/12-2-2020-बजट.2/2010

प्रेषक,

अनिल ढींगरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 623/कृ0र0/आपूर्ति-9/कृ0र0रसा0/क्रय प्रस्ताव/2020-21 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 12/2020/992/12-2-2020-बजट.2/2010 दिनांक 29 मई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-03-कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि रूपये 3500.00 लाख के सापेक्ष रूपये 842.15 लाख (रूपये आठ करोड बयालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कीटनाशक औषधियों का क्रय शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है एवं इन कीटनाशक औषधियों के क्रय एवं वितरण की पुष्टि का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(2) इन रसायनों की बिक्री के पश्चात प्राप्त धनराशि का नियमानुसार राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनाक 24 मार्च,2020 व अन्य संगत शासनादेशों की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अनिल ढींगरा )
विशेष सचिव।

संख्या: 63/2020/2113(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/ गार्ड फाईल।

( अनिल ढींगरा )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 63/2020/2113/12-2-2020-बजट.2/2010 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020

<u>का संलग्नक</u>

(धनराशि लाख रू0 में)

| लेखाशीर्षक/योजना/मानक मद | वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि | स्वीकृत की जा रही धनराशि |
|---|---|---|
| 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-<br>107-वनस्पति संरक्षण-<br>03-कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है-<br>43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 3500.00 | 842.15 |

( अनिल ढींगरा )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।